

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5675
दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

घरेलू रसायन उत्पादन

5675. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चीन से रसायन की डंपिंग के गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए मंत्रालय ने अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर क्या कदम उठाए हैं;
- (ख) सरकार द्वारा घरेलू रसायन का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें घरेलू रसायन उद्योगों के लिए अनुसंधान प्रयासों में सुधार और कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई पहल शामिल हैं; और
- (ग) क्या सरकार द्वारा रसायन क्षेत्र में बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देश में माल की डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत विभिन्न व्यापार उपचार जांच (एंटी डंपिंग/सुरक्षा उपाय) करता है। व्यापार उपचार महानिदेशालय घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनों की जांच करता है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार आयातकों, निर्यातकों और अन्य इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करता है। इस जांच के आधार पर व्यापार उपचार महानिदेशालय अपनी सिफारिशें अंतिम विचार हेतु (सीबीडीटी) वित्त

मंत्रालय को सौंपता है। 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान, व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों के आधार पर राजस्व विभाग ने चीन से आयातित 14 रसायनों पर एंटी-डंपिंग/एंटी-सब्सिडी शुल्क लगाया है।

(ख) देश में रसायनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने अवसंरचना में सुधार, इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की भूमिका को बढ़ावा देने और बेहतर कौशल के माध्यम से क्षेत्र में कार्यरत जनशक्ति की गुणवत्ता में सुधार करके बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इन पहलों का विवरण नीचे दिया गया है: -

i. अवसंरचना:

क. पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)

भारत सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए पीसीपीआईआर नीति अधिसूचित की है। पीसीपीआईआर बड़े पैमाने पर एकीकृत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बढ़ावा देते हैं। व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करने के लिए सामान्य अवसंरचना और सहायक सेवाओं के साथ पीसीपीआईआर की संकल्पना एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में की गई है। वर्तमान में, इन क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), गुजरात (दाहेज) और ओडिशा (पारादीप) राज्यों में तीन पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

इन पीसीपीआईआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

संकेतक	गुजरात	आंध्र प्रदेश	ओडिशा	कुल
स्थान/ क्षेत्र	दाहेज, भरूच	विशाखापत्तनम- काकीनाडा	पारादीप	-
अनुमोदन की तारीख	फरवरी, 2009	फरवरी, 2009	दिसम्बर, 2010	-
कुल क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	453.00	640.00	284.15	1377.15

किया गया निवेश (करोड़ रु.)	1,28,509	58,918	73,518	2,60,945
रोजगार सृजित (संख्या)	2,45,140	86,123	40,000	3,71,263
रसायनिक इकाइयों की संख्या	2079	154	13	2246
एंकर टेनेंट	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड (ओपीएएल)	--	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	-

इन पीसीपीआईआर ने पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन और सहायक उद्योगों में 2.61 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और 3.7 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित किया है।

ख. प्लास्टिक पार्क योजना

विभाग ने आवश्यकता आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की है, जिसमें अपेक्षित अवसंरचना और सक्षम सामान्य सुविधाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करना है ताकि इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार पैदा करने में मदद मिल सके। इस योजना के तहत, औद्योगिक इकाइयों के लिए सामान्य अवसंरचना प्रदान की जाती है, जिसमें अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस/खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग के लिए सुविधाएँ, भस्मक आदि शामिल हैं। कुछ प्लास्टिक पार्कों में प्लास्टिक अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग के लिए इन-हाउस रीसाइक्लिंग शेड भी स्थापित किए गए हैं। अब तक 10 प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी गई है।

ii. अनुसंधान एवं विकास

क. उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की है। इसका

उद्देश्य शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों को मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार करने तथा पॉलिमर, रसायन एवं प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करना है। इस योजना का जोर मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर है। इस योजना के तहत भारत सरकार कुल परियोजना लागत के 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये है। अब तक इस योजना के तहत 18 उत्कृष्टता केन्द्रों को मंजूरी दी जा चुकी है।

iii. कौशल विकास पहल:

केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) विभाग के अंतर्गत एक तकनीकी शिक्षा संस्थान जो देश में पेट्रोरसायन और संबद्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता के साथ-साथ शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है। देश भर में सिपेट के 48 केंद्र हैं जिनमें प्लास्टिक प्रौद्योगिकी संस्थान, कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र और पॉलिमर में उन्नत अनुसंधान के लिए स्कूल शामिल हैं। 2023-24 के दौरान, सिपेट ने दीर्घकालिक व्यावसायिक कौशल विकास के साथ-साथ अल्पकालिक व्यावसायिक कौशल विकास के लिए 66,606 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

(ग): रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने मुख्य रूप से प्रमुख दुर्घटना जोखिम (एमएएच) इकाइयों के कर्मचारियों को "कार्य स्थल पर खतरनाक रसायनों की सुरक्षित हैंडलिंग और खतरनाक रसायनों से जुड़े जोखिम को कम करने" के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए "रसायन और पेट्रोरसायन औद्योगिक सुरक्षा" पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के रूप में एक पहल की है। रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) के तहत आयोजित किए जा रहे ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रक्रिया सुरक्षा में सुधार और संभावित विफलताओं से उत्पन्न होने वाली खतरनाक स्थितियों के जोखिम को कम करने पर केंद्रित हैं। ऐसी प्रत्येक एमएएच इकाई से दो व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। विभाग ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने का कार्य केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) को सौंपा है।
